

पंजीकरण प्रारम्भ



ऑनलाइन पंजीकरण के लिए :
www.upavp.com पर लाग आन करें।



सेवोत्तम प्रमाणित

एवरेस्ट एफटेल

बृद्धावन योजना संख्या-4, सेक्टर-18

सैम्पल प्लैट
रेडी

अत्याधुनिक सुविधायुक्त पूर्ण सुरक्षित
भव्य एवं स्पेसियस
**प्लैट्स प्राप्त करने का
सुनहरा अवसर**



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : <http://www.upavp.com>, E-mail : upavp@sancharnet.in



उनके लिए जो चाहते हैं, बेहतर जीवन शैली

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अपनी अति महत्वाकांक्षी योजना एवरेस्ट एन्कलेव, वृन्दावन योजना संख्या-4, सेक्टर-18 लखनऊ के माध्यम से आपके लिए लेकर आये हैं विश्वस्तरीय सुविधाओं से परिपूर्ण बेहतरीन बहुमंजिली आवासीय योजना। यह योजना एकीकृत बहुमंजिली आवासीय जीवनशैली की सुविधाओं को अन्दर समाहित किये हुए है।

एवरेस्ट एन्कलेव परिसर में 3 BHK+S व 4 BHK+S के स्पेशियल और हवादार अपार्टमेंट्स हैं जो कि आधुनिक विश्वस्तीय सुविधाओं से परिपूर्ण हैं तथा इनकी लागत भी आपकी क्षमता के अनुरूप है।



शहर के प्रमुख स्थलों से न्यूनतम दूरी :

पी.जी.आई – 1 किमी.

एयर पोर्ट – 8 किमी.

चारबाग रेलवे स्टेशन – 8 किमी.

शत्रुघ्न पथ – 1.00 किमी.

उत्तरेष्ठिया रेलवे स्टेशन – 1.00 किमी.

गुणवत्ता नीति

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद आवासीय योजनाओं के माध्यम से जीवन स्तर में निरन्तर सुधार हेतु ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, स्वरूप एवं विकासपरक वातावरण व संवेदनशीलता के साथ उच्च गुणवत्ता एवं क्रय क्षमता के अनुरूप उत्पादों मानकों के अनुरूप कार्यान्वयन से अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करेगी।

गुणवत्ता नीति के निर्धारित लक्ष्य

- कार्यों हेतु निर्धारित समय एवं उनकी लागत के विचलन में कमी लाना।
- ग्राहकों की शिकायतों / समस्याओं में कमी लाना।
- ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि करना।



शहरी विकास में एक क्रीड़िमान

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

जहां सब होते अपने घर के सपने एवरेस्ट एन्डलैव



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

जिज्ञासाओं एवं समस्याओं के समाधान के लिए सम्पर्क करें

परिषद हेल्पलाइन नम्बर : 1800-180-5333 (टोल फ्री) 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 9.30 से सायं 6.00 बजे तक उपलब्ध है।

मूल्य : ₹ 952 + 48/- (बिट चार्ज शाहिन)

एकरेस्ट एन्कलेव

अति विशिष्ट बहुमंजिली आवासीय परियोजना



विशेष आकर्षण



खुशियों भरा संसार, गृह प्रवेश करें अपने घर-द्वार एवरेट एन्कलेव में

एवरेट
एन्कलेव
पृष्ठावन योजना संख्या-4, रोड़-18

- श्रेष्ठ भूकम्परोधी तकनीक मोनोलिथिक शियरवाल टेक्नोलोजी से भूकम्परोधी निर्माण।
- निर्माण कार्य प्रगति पर।
- प्रत्येक फ्लैट 3 नग ए.सी. से सुसज्जित।
- दो टायलेट्स 25 लीटर के गीजर सहित उच्च श्रेणी की अत्याधुनिक एसेसरीज के साथ अभिकल्पित।
- कमरों में निर्दिष्ट स्थान पर बिल्टइन कैबिनेट।
- फ्लैट में वीडियो डोर फोन सहित ग्रेनाइट स्टोन युक्त भव्य प्रवेश द्वार।
- प्रत्येक फ्लैट्स में माड्यूलर किचेन वाटर प्यूरीफायर (आर.ओ.) सहित।
- पी.एन.जी. सुविधायुक्त आवासीय परिसर।
- परिसर में सिक्योरिटी कैमरा और मानीटरिंग सिस्टम।
- परिसर में सोलर लाइट की व्यवस्था।
- सोलर हीटर द्वारा किचेन में गर्म पानी की आपूर्ति।
- केन्द्रीयकृत इन्टरकाम व्यवस्था।
- केन्द्रीयकृत डिश एन्टीना।
- 24×7 hrs घण्टे पावर बैक अप प्रत्येक फ्लैट हेतु 3 किलोवाट।
- आकर्षक लैण्डस्केप एवं जॉगिंग ट्रैक सहित हरित क्षेत्र।
- 01 पैसेन्जर लिफ्ट एवं 01 माल वाहक लिफ्ट प्रति टावर।
- आगंतुकों हेतु प्रवेश द्वार पर आरक्षित पार्किंग।
- निम्न सुविधाओं सहित सामुदायिक केन्द्र।
 - स्वीमिंग पूल (आवश्यक सुविधाओं सहित)
 - सामुदायिक हाल
 - उपकरणों से सुसज्जित फिटनेस सेन्टर।
 - इन्डोर गेमस् रूम।
 - दैनिक उपयोग हेतु सुविधाजनक दुकानें।
 - अतिथि कक्ष।



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम १९६५ के अन्तर्गत माह अप्रैल १९६६ में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।

- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना ।
- (प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना ।
- (फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना ।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत- आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है । इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके ।

परिषद जन-साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है ।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा ।

AERIAL VIEW



SITE PLAN



Unit Plan

&

Cluster Plan

3 BHK + STUDY UNIT PLAN



ISOMETRIC VIEW
3 BHK + STUDY

EVEREST ENCLAVE, SEC- 18 VRINDAVAN YOJNA, LUCKNOW

3 BHK + STUDY CLUSTER PLAN



**UNIT BUILT UP AREA : 1798.00 SQ.FT.
SUPER AREA : 2128.00 SQ.FT.**



4 BHK + STUDY UNIT PLAN



4 BHK + STUDY CLUSTER PLAN




**UNIT BUILT UP AREA : 2048.00 SQ.FT.
SUPER AREA : 2381.00 SQ.FT.**

**4BHK+S
UNIT PLAN**



लोकेशन प्लान



परियोजना का विवरण

लखनऊ शहर में प्रस्तावित स्ववित्त पोषित अति विशिष्ट बहुमंजिली आवासीय परियोजना वर्ष-2015

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा वृन्दावन योजना, संख्या-4 के सेक्टर-18 में एवरेस्ट एन्कलेव में प्रस्तावित स्व वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना वर्ष 2015 के फ्लैट्स का विवरण :

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ के अन्तर्गत सेक्टर-18 में "एवरेस्ट एन्कलेव" स्व वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना के अन्तर्गत 3BHK+S एवं 4BHK+S के 08 नग टावर के अन्तर्गत कुल 432 फ्लैट्स का निर्माण 13 मंजिले टावर में कराया जाना प्रस्तावित है।

इस परियोजना के फ्लैट्स के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। फ्लैट्स के विवरण, मूल्य एवं विशिष्टियां निम्नवत हैं :

कुल फ्लैट्स का विवरण

क्र. सं.	फ्लैट का प्रकार	फ्लैट्स की संख्या	सुपर एरिया प्रति फ्लैट (वर्ग फिट में)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फिट में)	प्राविधान
1.	3 BHK+S (4 Tower)	216	2128	1798	ड्राइंग/डाइनिंग रूम, 1 मास्टर बेड रूम, 2 बेड रूम, 1 स्टडी/सरवेन्ट रूम, 1 ट्वायलेट ड्रेस रूम सहित, 3 अन्य ट्वायलेट, 4 बालकनी, 1 किचेन
2.	4 BHK+S (4 Tower)	216	2381	2048	ड्राइंग/डाइनिंग रूम, 1 मास्टर बेड रूम, 3 बेड रूम, 1 स्टडी/सरवेन्ट रूम, 1 ट्वायलेट ड्रेस रूम सहित, 4 अन्य ट्वायलेट, 4 बालकनी, 1 किचेन

प्रस्तावित पंजीकरण (तृतीय चरण हेतु)

क्र. सं.	फ्लैट का प्रकार	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित फ्लैट्स की संख्या	सुपर एरिया प्रति फ्लैट (व.फिट में)	प्रस्तावित विक्रय मूल्य (लाख में)	आरक्षित कवर्ड एवं ओपेन पार्किंग की लागत (लाख में)	प्रस्तावित पंजीकरण धनराशि (लाख में)	चयन के पश्चात आवंटन/मांग पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि	विकल्प-1	विकल्प-2
								अवशेष भुगतान ग्यारह तिमाही किश्तों में (प्रत्येक किश्त की प्रस्तावित धनराशि) (लाख में)	अवशेष भुगतान उन्नीस तिमाही किश्तों में (प्रत्येक किश्त की प्रस्तावित धनराशि) (लाख में)
1.	3 BHK + S (2 Tower)	101	2128	81.85	4.00 (2 नग कवर्ड)	4.00	14.05	5.80	3.82
2.	4 BHK + S (2 Tower)	103	2381	91.70	4.75 (2 नग कवर्ड + 1 ओपेन)	4.50	19.00	6.20	4.08

नोट :

- पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक 'उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद' के नाम जो लखनऊ शहर में देय होगा।
- उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। फ्लैटों का निर्माण समस्त विकास कार्य सहित 36 माह में किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ही अन्तिम मूल्य देय होगा। अतः नियत किश्तों की धनराशि घट बढ़ सकती है। सम्पत्ति के वर्तमान में निर्धारित अनुमानित मूल्य में, अपरिहार्य कारणों जैसे भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने पर पूर्व निर्धारित मूल्य में परिवर्तन संभव है। सुपर एरिया की गणना में पार्किंग क्षेत्रफल को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- फ्लैट के सुपर एरिया, ले—आउट डिजाइन एवं एलिवेशन में परिवर्तन हो सकता है।

1. विशिष्टियां

फर्शः

लिविंग / डाइनिंग रूम	:	इटालियन मार्बल समरूप पालिशड ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स।
मास्टर बेड रूम	:	लैमिनेटेड वूडेन फ्लोरिंग।
एवं एक बेडरूम		
शेष बेड रूम	:	विट्रीफाइड टाइल्स।
स्टेयर केस	:	कोटा स्टोन / टाइल्स।
बालकनी / युटिलिटी	:	एन्टी स्किड टाइल्स।

द्वायलेटः

बाथरूम	:	स्टैन्डर्ड मेक फिक्चर्स / एसेसरीज के साथ बाथरूम।
दीवार	:	डोर लेवल तक डिजिटल सेरेमिक टाइल।
फर्श	:	एन्टी स्किड सैटिन फिनिश टाइल्स।
चाइनावेयर	:	यूरोपियन टाइप डब्लू.सी. शीट, काउन्टर सन्क वास बेसिन।
जलापूर्ति	:	जलापूर्ति हेतु सी.पी.वी.सी. पाइप का प्राविधान।

किंचेनः

फर्श	:	एन्टी स्किड सैटिन फिनिश टाइल्स।
कुकिंग प्लेटफार्म	:	ग्रेनाइट स्टोन किंचेन टॉप एवं दीवारों पर 60 सेमी. ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स का प्राविधान।
सिंक	:	ड्रेन बोर्ड सहित स्टेनलेस स्टील सिंक।
फिटिंग्स	:	उच्च गुणवत्ता की सी.पी. फिटिंग्स।
जलापूर्ति	:	सी.पी.वी.सी. पाइप द्वारा पानी की व्यवस्था का प्राविधान।
खिडकियां	:	स्लाईडिंग विन्डो यू.पी.वी.सी. फ्रेम में फ्लोट ग्लास एवं एस.एस. स्टील मासकीटो जाली सहित स्लाइडिंग विन्डो।
मुख्य दरवाजा	:	प्रवेश द्वार पर ग्रेनाइट स्टोन पैनल एवं टीक बुड़ पैनल डोर, मासकीटो प्रूफ डोर मैलामाइन स्प्रे पॉलिश के साथ।

अन्य आन्तरिक दरवाजा:	दोनों तरफ टीक वूड फिनिश वीनियर के साथ फलश डोर शटर लीकर पॉलिस के साथ।
बालकनी दरवाजा :	मासकीटो जाली सहित यू.पी.वी.सी. स्लाइडिंग डोर।
ट्रायलेट दरवाजा :	सॉलिड फौम पी.वी.सी. के चौखट एवं दरवाजा
डोर फ्रेम / शटर फिटिंग्स:	समस्त दरवाजों में स्टेनलेस स्टील फिटिंग।

दीवार की फिनिशिंग :

आन्तरिक	: दीवाल एवं छत पर प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट एवं ड्राइंग रूम की एक दीवार पर टेक्सचर फिनिशिंग।
बाहरी	: वेदर प्रूफ इमल्शन।
आन्तरिक विद्युतीकरण	: पी.वी.सी. कन्ड्यूट में माड्यूलर स्विच सहित कापर वायरिंग।
टी.वी. प्वाइंट्स	: ड्राइंग / डाइनिंग रूम एवं सभी बेडरूम में डिस एन्टिना वायरिंग के प्वाइंट का प्राविधान।
पावर बैक—अप	: प्रत्येक फ्लैट हेतु 3 KW का प्राविधान।

2. प्राविधान/शर्तेः

- 2.1 भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल के आवंटियों द्वारा विक्रय मूल्य पर लोकेशन चार्जज के रूप में क्रमशः 5 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, 2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।
- 2.2 उक्त अनुमानित/आगणित मूल्य के अतिरिक्त 3 BHK+S के आवंटियों द्वारा न्यूनतम दो नग कवर्ड पार्किंग एवं 4 BHK+S के आवंटियों द्वारा न्यूनतम दो नग कवर्ड पार्किंग एवं 1 नग ओपेन पार्किंग (कुल 3 नग पार्किंग) आरक्षित कराना आवश्यक होगा। उपरोक्तानुसार आरक्षण के उपरान्त अवशेष पार्किंग को इच्छुक आवंटियों के मध्य लाटरी द्वारा आवंटित किया जायेगा। बेसमेन्ट व स्टिल्ट की कवर्ड कार पार्किंग के लिए प्रति कार पार्किंग रु. 2.00 लाख एवं ओपेन कार पार्किंग हेतु रु. 0.75 लाख अतिरिक्त देय होगा।
- 2.3 फ्लैट्स में सामान्य सेवाओं हेतु प्रत्येक टावर के लिए एक लिफ्ट (13 पैसेन्जर) व एक लिफ्ट माल वाहक (1 टन क्षमता) तथा पावर बैकअप हेतु आवश्यकतानुसार उचित क्षमता के 1 जनरेटर एवं 1 ट्रान्सफार्मर प्रति टावर का प्राविधान किया गया है।
- 2.4 शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया गया है।

- 2.5 फायर सेप्टी नार्म्स के अन्तर्गत परिसर / टावर में सभी आवश्यक प्राविधान किये गये हैं।
- 2.6 परिसर हेतु बाउन्ड्रीवाल का प्राविधान किया गया है। इस परिसर में एक सामुदायिक हाल बच्चों व वयस्कों हेतु स्वीमिंग पूल, अतिथि कक्ष, इन्डोर गेम कक्ष, दैनिक उपयोग हेतु सुविधाजनक दुकानें एवं फिटनेस सेन्टर बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसकी लागत उक्त मद में सम्मिलित है।
- 2.7 उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। प्रस्तावित निर्माण 36 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना को पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ही अंतिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जायेगा। अनुमानित मूल्य में, अपरिहार्य कारणों जैसे भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने पर पूर्व निर्धारित मूल्य में परिवर्तन संभव है। सुपर एरिया की गणना में पार्किंग क्षेत्रफल को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- 2.8 फ्लैट के सुपर एरिया एवं परिसर / फ्लैट की ले-आउट डिजाइन में आंशिक परिवर्तन हो सकता है।
- 2.9 प्रत्येक आवंटी को एन्कलेव के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही एन्कलेव की भूमि में फ्री-होल्ड चार्ज ग्रुप हाउसिंग में प्रचलित दर पर देना होगा।
- 2.10 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को “कार्पस फण्ड” में निर्धारित धनराशि पंजीयन (रजिस्ट्री) के पूर्व जमा करनी होगी। यह धनराशि – 3 BHK+S हेतु रु. 3.18 लाख एवं 4 BHK+S हेतु रु. 3.54 लाख देय होगी। एन्कलेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से 2 वर्ष के बाद मेन्टेनेन्स का कार्य आवंटियों की उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित, आवंटियों की वेलफेयर सोसाइटी को हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् समिति द्वारा उक्त एन्कलेव की सामान्य सुविधाओं को बनाये रखने हेतु आने वाला व्यय आवंटियों की समिति को अपने श्रोतों से करना होगा। निर्धारित रख-रखाव व्यय प्रथम फ्लैट के भौतिक कब्जा हस्तगत करने की तिथि से प्रति माह आवंटी को देना होगा।
- 2.11 परिषद द्वारा परिसर का रख-रखाव प्रथम फ्लैट के कब्जे की तिथि से 2 वर्ष तक किया जाना प्रस्तावित है, इसके उपरान्त परिसर का रख-रखाव “रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी” द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
- 2.12 फ्लैट्स में पावर बैकअप की वायरिंग / जनरेटर का प्राविधान मूल्य में सम्मिलित है। रख-रखाव व्यय प्रतिमाह आवंटी को देना होगा।
- 2.13 सुपर एरिया पर रुपया 1.50 प्रति वर्गफुट की दर से सामान्य सेवाओं जैसे लिफ्ट, जनरेटर, कैम्पस लाइट, सिक्योरिटी गार्ड, ट्यूबलाइट आपरेशन, कम्युनिटी सेन्टर सामान्य सेवाओं के विद्युत बिल, सफाई आदि के रख-रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट आवंटी को प्रति माह अतिरिक्त देना होगा, जो समय-समय पर परिषद / रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आवश्यकता के अनुरूप बढ़ाया / घटाया जा सकेगा।
- 2.14 यदि भविष्य में राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अलग कोई टैक्स जैसे वैट, सर्विस टैक्स, जी.एस.टी. आदि आरोपित किया जाता है तो वह स्वयं आवंटी को वहन करना होगा।

3. पंजीकरण हेतु पात्रता :

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 3.3 स्व वित्त पोषित फ्लैट हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

4. पंजीकरण के नियम :

- 4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन—पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें।
- 4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी अधिकृत निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नकों व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति—पत्नी केलिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति—पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकृत व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड बाउचर पर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय वृन्दावन योजना, लखनऊ में आवेदन करने पर नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी। ऐसे निरस्त पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा।
- 4.5 यदि कोई आवेदक पात्रता चयन हो जाने के पश्चात् तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय वृन्दावन योजना, लखनऊ में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।
- 4.6 फ्लैट्स निर्माण में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटी को अन्तिम निर्धारित किश्त जमा करने के 6 माह बाद तक भी परिषद फ्लैट्स आवंटित नहीं कर पाता है तो आवंटी की जमा धनराशि अन्तिम किश्त जमा करने के आगामी माह से, धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक, परिषद के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज अथवा परिषद द्वारा निर्धारित ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।
- 4.7 यदि किन्हीं कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों / आवंटियों की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किन्तु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।

- 4.8 इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती है तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

5. भुगतान का तरीका :

- 5.1 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में निर्धारित बैंक शाखा में जमा करना है तथा शेष धनराशि 11 / 19 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी। समस्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट / बैकर्स चेक के माध्यम से ही स्वीकार होगा।
- 5.2 चयनित आवेदक को मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से (1 माह) 30 दिन के अन्दर फ्लैट के सम्पूर्ण मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर फ्लैट के विक्रय मूल्य के 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
- 5.3 यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण विकल्प 1 एवं विकल्प 2 के अनुसार निर्धारित देय अंतिम तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद, नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित अतिरिक्त ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 5.4 यदि 5.3 के अनुसार धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।
- 5.5 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- 5.6 पंजीकरण एवं पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैकर्स चेक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट / बैकर्स चेक “उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद” के नाम जो लखनऊ शहर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिये। मांग-पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर जमा करना होगा।

6. आवंटन नियम :

- 6.1 परिषद / शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
- 6.3 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की पर्चियों को श्रेणीवार आरक्षण वार एक साथ डालकर लाटरी द्वारा फ्लैट की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।

- 6.4 समस्त चयनित पात्र आवेदक समान होंगे। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों का चयन हो जाने के उपरान्त लाटरी पद्धति से नीचे से ऊपर ऊर्ध्व रूप से ही फ्लैट की संख्या का आबंटन किया जायेगा। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार पर फ्लैटों की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। चार आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी।
- 6.5 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव ग्रुप को एक ही तल पर साथ—साथ समायोजित किया जायेगा। उस तल पर समायोजन न हो पाने की स्थिति में ठीक ऊपर / अगले तल पर आबंटन किया जाएगा। एक टावर के भर जाने पर अगले टावर का आबंटन पुनः नीचे से ऊपर ऊर्ध्व रूप से होगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6.6 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्तता के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख—निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।
- 6.7 पात्रता चयन के पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेब—साइट पर प्रदर्शित की जाएगी जिसमें निर्धारित तिथि के पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय वृन्दावन से सम्पर्क करके किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।



7. आरक्षण :

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	—————तदैव—————
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	—————तदैव—————
4	मा० विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण—पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संरक्षण, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन—पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी /अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण—पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रामण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
10	विदेशी मुद्रा से सम्पत्ति क्रय करने के इच्छुक भारतीय नागरिक	नकद के अनुसार	पंजीकरण जमा की धनराशि तथा मांग पर शेष मूल्य विदेशी मुद्रा (यू.एस. डालर, पौण्ड, स्टर्लिंग, जर्मन मार्क, जापानी येन, रिव्स, फ्रैंक, दीनार) से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कराकर देनी होगी। आवंटन केवल नकद क्रय आधार पर होगा। पंजीकरण आवेदन—पत्र के पंजीकरण जमा धनराशि के विदेशी मुद्रा में परिवर्तित होने का सम्बन्धित बैंक का प्रमाण पत्र संलग्न करना है।

नोट:- उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।

हारिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

7.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण—पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन—पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

भूविस्थापितों के लिये प्राविधान :-

भूविस्थापितों को शासनादेशों/परिषदादेशों के अनुरूप वरीयता देय होगी। भू-विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि/भवन को परिषद द्वारा उस योजना हेतु अधिगृहीत किया गया हो। इस हेतु सक्षम अधिकारी (भूमि अध्यापिति अधिकारी) का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

8. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

8.1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदकों को दो माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउन्ट के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

9. फ्लैट्स का कब्जा

9.1 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 36 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

9.2 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान फ्लैट के पंजीयन / सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

9.3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रु0–50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

10. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण / आवंटन / निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

11. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

11.1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन, विक्रय–विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।

11.2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।

11.3 यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण / आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण / फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डेमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।

11.4 आंवटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे।

11.5 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।

11.6 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।

11.7 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

11.8 सम्पत्ति का अन्तिम मूल्य परियोजना को पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जायेगा। सम्पत्ति के सूचित अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।

**एकरेस्ट एन्कलेव के अन्तर्गत बैंक शाखा के नाम व पते जहाँ से
पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन पत्र (पंजीकरण धनराशि सहित)
जमा करने की सुविधा उपलब्ध है**

क्रमांक	आप लाईन पंजीकरण हेतु अधिकृत बैंक/शाखा का विवरण	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष नं.	आन लाईन पंजीकरण हेतु अधिकृत बैंक/शाखा का विवरण
1.	बैंक आफ बड़ौदा, हीवेट रोड, लखनऊ	श्री आर.के. सिंह मुख्य शाखा प्रबंधक	09473539076	
2.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, हलवासिया मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ	श्री एम.के. सूद मुख्य शाखा प्रबंधक	08874209304	भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, शाखा लखनऊ
3.	इलाहाबाद बैंक, हरदोई रोड, बालागंज, लखनऊ	श्री टी.के. विश्नोई शाखा प्रबंधक	9415192183	श्री एस.एन. सिंह, शाखा प्रबंधक, 08005488945
4.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया 1/241, सेक्टर-1, विकास नगर, लखनऊ	श्रीमती अनुपमा द्विवेदी शाखा प्रबंधक	09919751708	

नोट :-

- उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ से रु. 1000/- नगद देकर कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकेगी।
- डाक द्वारा पंजीकरण पुस्तिका मंगाने पर रु. 50/- अतिरिक्त देय होगा।
- पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उल्लिखित बैंकों में ही जमा करने होंगे।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशः-

- 1 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जाये।
- 2 आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 4 एवं 7 का) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जाये।
- 3 आवेदन पत्र कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सत्यापित किये जाने हैं। अतः अंग्रेजी में सूचनाये भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (**BLOCK LETTERS**) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
- 4 आवेदक केवल अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- 5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।
- 6 एक ब्लाक (**BLOCK**) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
- 7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोड़ा जायें।
- 8 आवेदन पत्र में बिन्दु-6 पर अंकित लिंग (**SEX**) कॉलम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी) हेतु 'HW' भरें।
- 9 सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका के प्रस्तर-2 में दिये गये विवरण में से किसी एक सम्पत्ति श्रेणी को भरना होगा। एक से अधिक सम्पत्ति श्रेणी में आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
- 10 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका के प्रस्तर-7 पर में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण कोड	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित / सामान्य	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा० विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	F
उ.प्र. सरकार के सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संरक्षण, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन / वरिष्ठ नागरिक	O
विस्थापित	W

मुख्य परिभाषाएँ

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहां-जहां वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे :—

आवेदक का परिवार —

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय —

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड/भवन —

“भवन या मकान” शब्द में : “फ्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति —

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन, फ्लैट अथवा भूखण्ड से है।

विदेशी मुद्रा —

विदेशी मुद्रा का तात्पर्य स्टर्लिंग पौंड, यू.एस. डालर, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस फ्रैंक और दीनार से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) —

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि से सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य —

उ.प्र. राज्य की सेवा में तथा उ.प्र. राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

विस्थापित व्यक्ति —

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि/भवन परिषद द्वारा उस योजना में अधिगृहीत की गयी हो।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है —

- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो ।
- (2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपैन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों ।
- (3) यह सुविधा केवल स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को ही देय है उनके आश्रितों को यह सुविधा देय नहीं है ।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य –

सेवारत / सेवा निवृत्त सुरक्षा सैनिक से है ।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है ।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य –

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन / विकलांग व्यक्ति से है ।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य –

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो ।

परिषद का तात्पर्य –

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है ।

विकास प्राधिकरण / जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य –

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों ।

आधिक जानकारी हेतु सम्पर्क सूचि

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त | — | मो. 8795810021 |
| 2. उप आवास आयुक्त, (स.प्र.) वृन्दावन योजना | — | मो. 8795810229 |
| 3. अधिशासी अभियन्ता, नि.ख.-13 | — | मो. 8795810068 |
| 4. सहायक अभियन्ता, नि.ख.-13 | — | मो. 8795810119 |

वृन्दावन योजना-4, सेक्टर-18, लखनऊ में प्रस्तावित स्ववित्त पोषित विशिष्ट ‘‘एवरेस्ट इन्वलेव’’ बहुमंजिले फ्लैट्स के आन-लाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

उक्त योजना की सम्पत्तियों (फ्लैट्स) के आन-लाइन पंजीकरण (Online Registration) द्वारा आवेदन करने के क्रम में निम्नलिखित चरणवार (Stepwise) प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :—

प्रथम चरण (Step-1) :

आन-लाइन एक्सेस (Online Access) एवं ई-चालान जेनरेशन (E-Challan Generation)

- पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि से इच्छुक आवेदक द्वारा सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.com पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration-Apply online पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "Everest Enclave, Vrindavan Yojna-4, Sector-18, Lucknow - Apply online पर क्लिक करना होगा।
- तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपने आवेदन के संबंध में मुख्य जानकारी (Basic Informations) यथा—नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, इच्छित फ्लैट्स आदि details उपलब्ध कराना होगा।
- उक्त प्रक्रिया के पश्चात आवेदक द्वारा पंजीकरण धनराशि के भुगतान पद्धति(Payment Mode) एवं बैंक का चयन किया जायेगा।
- आन-लाइन पंजीकरण हेतु निम्नलिखित बैंक निर्धारित किये गये हैं :—
 - भारतीय स्टेट बैंक
जवाहर भवन, शाखा लखनऊ
श्री एस.एन. सिंह, शाखा प्रबंधक, मो. : 08005488945
- तत्पश्चात आवेदक को आवेदन शुल्क तथा पंजीकरण धनराशि निम्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करते हुए 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा—
 - . Transfer/Challan (संबंधित बैंक के खाताधारकों हेतु)
 - . Demand Draft/Pay Order [DD In favour of U.P.Avas Evam Vikas Parishad (payable at Lucknow)]
 - . Internet banking (संबंधित बैंक के Internet banking users हेतु)
- इस प्रकार 'Submit' करने पर आवेदक को रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड अंकित किया हुआ कम्प्यूटर जेनरेटेड (Printable) सूचना प्राप्त होगी, जिसे आवेदक के ई-मेल पर भी प्रेषित किया जायेगा। उक्त प्रिन्ट-आउट को आवेदक द्वारा भविष्य संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखा जायेगा।
- उक्त प्रिन्ट-आउट में अंकित लिंक 'Print Challan' पर क्लिक करने पर आवेदक को कम्प्यूटर जेनरेटेड (प्री-प्रिन्टेड) चालान की प्रति आवेदक को प्राप्त होगी।
- उक्त चालान का प्रिन्ट-आउट मूलरूप में आवेदक द्वारा संबंधित बैंक की निकटतम शाखा में प्रस्तुत कर निर्धारित आवेदन शुल्क तथा पंजीकरण धनराशि (ट्रांसफर/बैंकड्राफ्ट/पे-आर्डर) जमा करनी होगी।
- इस प्रकार 'Submit' की गई जानकारियों को आवेदक द्वारा परिवर्तित (Edit) नहीं किया जा सकता है, अन्यथा स्थिति में आवेदक द्वारा पुनः उक्त प्रक्रिया अपनाते हुए नया आवेदन किया जा सकता है।

- उपरोक्तानुसार किसी एक पद्धति से पंजीकरण धनराशि /आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा परिषद खाते में धनराशि अंतरित होने की दशा में, आवेदक को Journal No./Refernece No./ Transaction ID प्रदान किया जायेगा।
- एकाउन्ट द्वारा धनराशि ट्रांसफर से भुगतान करने पर बैंक द्वारा आवेदक को Journal No./Refernece No./Transaction ID तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
- डिमाण्ड ड्राफ्ट / पे-आर्डर के माध्यम से पंजीकरण / आवेदन शुल्क भुगतान करने की दशा में परिषद खाते में धनराशि अंतरित होने पर ही आवेदक को बैंक द्वारा Journal No./Refernece No./Transaction ID उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- आवेदक द्वारा 'इंटरनेट बैंकिंग' के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा करने की स्थिति में उन्हें 'आन—लाइन रजिस्ट्रेशन' करने पर चालान का प्रिन्ट—आउट प्राप्त होगा, जिसपर अंकित निर्देशानुसार संबंधित बैंक की 'इंटरनेट सुविधा' का उपयोग करते हुए कार्यवाही की जायेगी। सफलतापूर्वक भुगतान परिषद खाते में हो जाने के पश्चात संबंधित बैंक के वेब—पेज

द्वितीय चरण (Step-2) :

अंतिम रूप से आन—लाइन फार्म जमा करना (Finally Online Form Submission)

- आवेदक द्वारा प्रथम चरणानुसार पंजीकरण धनराशि /आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त पुनः परिषद वेबसाइट www.upavp.com पर जाकर Online Registration-Apply online पर क्लिक करते हुए दोबारा Login किया जायेगा।
- इस बार उन्हें Login Panel के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन आई0डी0, पासवर्ड एवं Journal No./Refernece No. /Transaction ID भरकर अपना आन—लाइन फार्म खोला जायेगा।
- आवेदक द्वारा अपने ऑन—लाइन आवेदन फार्म में अपना Scanned कलर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अन्य सूचनायें दर्ज की जायेगी।
- तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपना आन—लाइन पंजीकरण फार्म Recheck करते हुए अंतिम रूप से 'Submit' करना होगा।
- आन—लाइन रजिस्ट्रेशन फार्म Finally Submit करने के उपरान्त आवेदक अपने रजिस्ट्रेशन आई0डी0 /पासवर्ड का उपयोग करते हुए अपने आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट प्राप्त कर सकते हैं किन्तु आवेदन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों (आई0डी0 प्रमाण, जन्मतिथि प्रमाण, जाति प्रमाणपत्र आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे :—

"उप आवास आयुक्त
सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
आफिस काम्पलेक्स, वृन्दावन योजना,
रायबरेली रोड, लखनऊ (उ० प्र०)—226002"